

# कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली

न्यू कलेक्टोरेट भवन, कक्ष क्र० 221 / 226 जिला-मुंगेली (छ०ग०)

फोन नं० - 07755-264122

ई-मेल-actdmungeli@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छात्रवृत्ति/2021-22/  
प्रति,

655

/मुंगेली, दिनांक 10/08/2021

उप संचालक,  
जिला जनसंपर्क मुंगेली,  
जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र तैयार करने हेतु विज्ञप्ति

संदर्भ:- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर का पत्र क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./118/2021-22/2409 नवा रायपुर, दिनांक 04.08.2021

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाना है। जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय कक्षा 11वीं 12वीं महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक आई.टी.आई., आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10वीं से उच्चतर) में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, जो [edistrict.cgstate.gov.in](http://edistrict.cgstate.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा, विद्यार्थियों के आधार कार्ड में कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि, पता) सुधार हो तो अवश्य करा लेवें साथ ही विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किये गये बैंक खाते की सिडिंग आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करें।

अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्राप्त करना साथ ही जिन विद्यार्थियों का पूर्व में ऑफलाईन उक्त प्रमाण पत्र तैयार है वे ऑनलाईन अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

अतएवं जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास मुंगेली

पृ.क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छात्रवृत्ति/2021-22/  
प्रतिलिपि :-

656

/मुंगेली, दिनांक 10/08/2021

1. कलेक्टर, जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्राचार्य, अधिष्ठाता शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक आई.टी.आई., ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास मुंगेली